



2026: AHC : 43770

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2838/2026

तिल्केश्वर राम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: बसंत कुमार उपाध्याय, शशिकांत

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बसंत कुमार उपाध्याय और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 28.10.2023/22.10.1983 को अर्दली (चपरासी) के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में 24.04.2001 को कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके पश्चात, रिट याचिकाकर्ता 31.08.2025 को अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का 10 प्रतिशत हिस्सा, गणना राशि (कम्यूटेशन अमाउंट) और पूर्ण पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता को पहले ही 31.01.2026 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसका जवाब याचिकाकर्ता ने 13.02.2026 को प्रस्तुत कर दिया है और उनके अनुसार, इस मामले को अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2, कमांडेंट, 36वीं वाहिनी, पी.ए.सी. रामनगर, वाराणसी, कारण बताओ नोटिस पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब पर छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लें और निर्णय के उपरांत, यदि कानून के अनुसार भुगतान किया जाना बनता है, तो लाभों के भुगतान के संबंध में उचित आदेश पारित करें।

25 फरवरी, 2026 राजेश (विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।